

परिषिष्ट क
[नियम 16 एवं 17 (1)]

किसी भवन के विकास,निर्माण,पुनर्निर्माण अथवा उसके किसी भाग में
परिवर्तन करने के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

.....
.....

महोदय,

मै, एतद्द्वारा, यह सूचना देता हूँ कि मैं नगर मोहल्ला-बाजार सड़क
..... बस्ती 5 मार्ग में भवन क्रमांक अथवा प्लॉट क्रमांक में
पर तथा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1983 के नियम 17 के के अनुसार विकास
निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ मेरे तथा
वास्तुविद् इंजीनियर, पर्यवेक्षक नगर निवेशक, अनुज्ञप्ति क्रमांक (नाम स्पष्ट अक्षरो में) जो उस निर्माण कार्य
का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित रेखांक और विषिष्ट विवरण चार प्रतियों
में अग्रषित करता हूँ-

- (1) मुख्य रेखांक
- (2) स्थल रेखांक
- (3) उप विभाग-अभिन्यास योजना
- (4) भवन नक्शे
- (5) सेवा आयोजन
- (6) विषिष्टियाँ सामान्य तथा विस्तृत
- (7) स्वामित्व सम्बन्धी हक।
- (8) परिषिष्ट-द में दिये गये अनुलग्नक के साथ क्षतिपूर्ति बाँड सह शपथपत्र।
- (9) नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अनुमोदित ले-आउट या भूमि उपयोग प्रमाण पत्र।
- (10) स्थल फोटोग्राफ्स।
- (11) भवन निर्माण लागत का अनुमान।
- (12) विद्यमान भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
- (13) विगत वर्ष की संपत्ति कर भूगतान की पावती।

मैं निवेदन करता हूँ कि विकास निर्माण को अनुमोदित किया जाय और मुझे कार्य निष्पादित
करने की अनुमति प्रदान की जाय।

स्वामी के हस्ताक्षर
स्वामी का नाम
(स्पष्ट अक्षरो में)
स्वामी का पता

तारीख